संख्या-10/2023/1604/23-10-22-108(सेतु)/22

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग) लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1409/प्रा0-आगणन-आगरा(खेरिया एयरपोर्ट)/सेतु-6/22-23 दिनांक 09.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य हेतु लागत रू0 308.46 लाख के सापेक्ष 154.23 लाख (रूपये एक करोड़ चौवन लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद कार्य का विवरण	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशासकीय स्वीकृति
1	2	3	4
1	जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत एवं रिहैबिलीटेशन कार्य हेतु	308.46	154.23
	योग-	308.46	154.23

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून,2022 एवं यथा संशोधित

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA

शासनादेश संख्या-24/2022/बी-1-790/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) शासनादेश सं0-42/2022/212/23-10-21-10(ब)/2017 दिनांक 21.04.2022 एवं शासनादेश सं0-0-69/2022/683/001/683/23-10-22-10BA-2017 दिनांक 17.08.2022 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें- 800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण एवं मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 करोड़ में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2023/1604(1)/23-10-22-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/ जिलाधिकारी, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/NTRA